संख्या-33 /2026/I/1433195/2026/ 001-71-4099-19-2025

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 14.08.2026

विषय:-पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित मेडिकल कालेज को Incentive प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई-1/2026/I/706663, दिनांक 29.07.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर जनपद महराजगंज में स्थापित K.M.C Medical College & Hospital Mahrajganj को वित्तीय वर्ष 2026-27 के मानक मद-42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत मेडिकल कालेज को अवशेष Assistance Per Seat रू0 8,75,00,000.00 के भुगतान हेतु आवश्यक शासकीय आदेश निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा निर्गत नीति में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 25.03.2026 द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर जनपद महराजगंज में स्थापित K.M.C Medical College & Hospital Mahrajganj को शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु धनराशि Interest Subsidy (Max.) रू0 1,00,00,000.00 एवं Assistance per seat रू0 8,50,00,000.00 अर्थात रू0 **9,75,00,000.00** (Batch one-150 student + Batch two- 200 student = 350 student) (Half of 350*5,00,000= 8,75,00,000.00) अवमुक्त करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 17.09.2021 द्वारा निर्गत नीति में विहित व्यवस्था के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-92 (16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना) के मानक मद 42 अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष K.M.C Medical College & Hospital Mahrajganj को शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु (Batch one-150 student + Batch two- 200 student = 350 student) (Half of 350*5,00,000=8,75,00,000.00)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्निलिखित विवरण एवं शर्तो के अधीन धनराशि रू0 8,75,00,000.00 (रूपये आठ करोड़ पिचहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	विवरण	धनराशि (amount in rupees)
1	Assistance per seat (Batch one-150 student + Batch two- 200 student = 350 student) (Half of 350*5,00,000=8,75,00,000.00)	8,75,00,000.00
	Total (Eight Crore Seventy Five Lac only)	**8,75,00,000.00**

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा एवं उक्त धनराशि के आकलन एवं शुद्धता के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफीस में नहीं रखा जायेगा।
3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-28 मार्च,2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक-31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।
5) संस्था द्वारा शासन से किये गये कन्शेसन एग्रीमेन्ट दिनांक-07 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित कर नियमानुसार K.M.C Medical College & Hospital Mahrajganj को उपलब्ध कराया जायेगा।
7) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित मेडिकल कालेज को स्वीकृत Incentive के संबंध में एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें संबंधित मेडिकल कालेज को स्वीकृत/ अवमुक्त धनराशि का स्पष्ट अंकन किया जायेगा। संबंधित मेडिकल कालेज को शैक्षणिक सत्र में Incentive प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित मेडिकल कालेज को प्रदान किये जाने वाला Incentive उन्हें नियमानुसार अनुमन्य है अथवा नहीं । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त स्वीकृत/अवमुक्त Incentive के भुगतान की द्विवरावृत्ति न हो।
8) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9) पी०पी०पी० मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक-17.09.2021 में विहित व्यवस्था/दिशा-निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,75,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050392 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कालेज की स्थापना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

<u>संख्या एवं तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(4) प्रबंधक, K.M.C Medical College & Hospital Mahrajganj

(5) वित्त अधिकारी, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।

(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

(7) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

(8) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in